International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume IV, Issue VI, December 2017 Available online at: www.ijaur.com

इंदिरा आवास योजना के प्रभावी कियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषणाात्मक अध्ययन सिवनी जिले के विशेष संदर्भ में

डा0 अनिता भट्ट
अर्थशास्त्र विभाग
शास0 ने0 सु0 च0 बो0 कन्या महाविद्यालय सिवनी (म0प्र0)

सारांश – लोकतांत्रिक शासन पद्धति में आम आदमी की इच्छाओं और अनिच्छाओं के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। इसलिए जनहितकारी नीतियों को केन्द्रस्थ करना इसका प्रथम ध्येय होता हैं। भारतीय संदर्भ में ग्रामों में निवासरत 80 प्रतिशत जनसंख्या के कारण विकास योजनाओं का केन्द्र बिन्दु राजनीतिक तौर पर ग्रामीण अंचलों से प्रारंभ होता दिखता है। भारत में योजना तथा विकास में पंचायती राज संस्थाओं का अभिकल्प एक निर्णायक भूमिका निभाने के उददेश्य से तैयार किया गया था। स्थानीय स्तर से संबंधित विकास कार्यक्रमों की योजना व उनका कियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के सुपुर्द किये गये है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाऍं स्वशासन की एक इकाई के रूप में किस सी सीमा तक जवाबदेह और पारदर्शी ढंग से इनक कार्यो को सम्पन्न करती है। यह जानने के लिए इनके द्वारा सम्पादित कार्यो को अवलोकित करना आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द – पंचायती राज संस्थाऍं इन्दिरा आवास योजना हितग्राही, स्वशासन, ग्राम सभा।

प्रस्तावना –

वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र तीव्र आर्थिक विकास के लिये प्रयत्नशील हैं, वास्तव में इस समस्या की ओर विश्व का ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् गया,आज विश्व के राष्ट्रों के बीच आर्थिक विकास की प्रतिस्पर्धा चल रही हैं। इसी प्रतिस्पर्धा में भारत भी प्रमुख है। सामान्यतः आर्थिक विकास का आशय निम्न आय वाले अल्पविकसित राष्ट्रों को उच्च आय वाले विकसित राष्ट्रो में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया से हैं। आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि यह आर्थिक योगों जैसे आय उत्पादन, आदि तक ही निश्चित नहीं हैं वरन् इसका संबंध अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक,राजनीतिक, आदि दशाओं तथा उनके परिवर्तनों से भी होता है। आर्थिक विकास अर्थ–व्यवस्था की संपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। भारत की समस्या अन्य देशों से भिन्न है क्योंकि भारत को ग्रामों का देश कहा जाता है। अर्थात् ग्रामीण विकास में भारत के विकास की परिकल्पना निहित है, ग्रामीण विकास के लिये पंचायतीराज व्यवस्था का सृजन हुआ, क्योंकि यह व्यवस्था जन–जन से जुड़ी हुई हैं समय–समय पर इसे और अधिक सक्षम और सशक्त बनाया गया हैं।

भारतीय ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण आधार पर स्तम्भ, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार एवं ग्रामीण एवं ग्रामीण पंचायत रहे हैं। स्वशासन की इकाई के रूप में ग्रामीण पंचायतों का यहां विशेष महत्व रहा है। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि – '' भारतीय ग्रामीण जीवन का पुर्ननिर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही सम्भव है।'' भारत में पंचायतीराज की प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद तथा अर्थवेद में भी मिलते हैं। पंचायत व्यवस्था को आरंम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को हैं। वैदिक काल से ही यहां ग्राम को प्रशासन की मौलिक इकाई माना जाता है। जातक ग्रंथों में भी ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी एक सामूहिक राजनीतिक इकाई के रूप में ग्राम का महत्व रहा है, लघु गणराज्यों के रूप में हिन्दू मुस्लिम तथा पेशवा शासन काल में ग्राम पंचायतों का विशेष स्थान था। शासन–व्यवस्था और सुख–सुविधाओं की दृष्टि से कौटिल्य ने समग्र राष्ट्र को दो भागों में विभक्त किया था, पुर और जनपद। पुर से उनका अभिप्राय नगर,दुर्ग या राजधानी से और जनपद का शेष सारे राष्ट्र से है, राज्य की प्रकृतियों में जनपद और दुर्ग पुर को इसलिए अलग–अलग माना गया है। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के समय तक ये ग्राम पंचायते ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाईयों के रू‍ में अपनी भूमिका निभाती रही है। सर चार्ल्स ट्रवलिन ने ग्रामीण पंचायतों के स्थायित्व पर लिखा है– '' एक के बाद दूसरा विदेशी विजेता भारत पर विजय प्राप्त करता रहा, लेकिन ग्राम,निगम, भूमि के साथ उसी की कुशा (घास) के समान चिपके रहे है।'' इस देश में समय–समय पर शासन बदलते रहे, क्रांतियां होती रही साथ ही धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन भी होते रहे, लेकिन ग्रामीण समुदायों का स्थायित्व बना रहा, और पंचायतें अपने कार्यो को संचालित करती रही। परन्तु अंग्रेजों की नीतियों के कारण यहां पर ग्रामीण समुदायों का महत्व कम होता गया। इस प्रकार अति प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, ग्रामीण पंचायतों का पतन और ग्रामीण समुदायों की आत्म–निर्भरता समाप्त होने लगी थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शासन का ध्यान ग्रामीण पुर्ननिर्माण और पंचायतों की पुनः स्थापना की ओर गया, महात्मा गांधी जी ने केन्द्रीयकरण के दुष्परिणामों को स्वयं अपनी आंखो से देखा था। अतः वे केन्द्रीकरण के विरोधी तथा विकेन्द्रीकरण के समर्थक थे। विकेन्द्रीकरण से आशय ऐसी शासन व्यवस्था जो किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों के हाथ में न होकर जनसामान्य तक हो इसी कथन को मूर्त रूप देने हेतु

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी भी सत्ता के विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज को मूर्त रूप देने एवं स्वावलम्बी बनाने के पक्षधर थे। स्वायत्त–शासी संस्थाओं को पहली बार संवैधानिकता की हैसियत संविधान में संशोधन कर प्रदान की गई हैं, तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने समूचे भारत में इस दिशा में सक्रिय पहल करने का प्रथमतः गौरव प्राप्त किया।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है, कि पंचायतीराज दायित्व बोध से सम्पन्न होकर ग्राम स्वराज स्थापित करें। ग्रामों का विकास हो, ग्राम आर्थिक दृष्टि से विकसित एवं समृद्ध हो राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र की मेरूदण्ड ग्राम इकाई लोकतांत्रिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गणराज्य में भागीदारी के लिये होनहार भावी–पीढ़ी का रचनात्मक सृजन करें। अनुच्छेद 280 का संशोधन की धारा 50 में स्पष्ट किया गया है कि ''राज्य ग्राम पंचायतो का संगठन करेगा और उनको समस्त अधिकार प्रदान करेगा। जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के योग्य हो जायेगा। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् यहां शासन में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया और जनता को स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिला साथ ही शासन का विकेन्द्रीकरण करने हेतु विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायते स्थापित की गयी। जिसमें ग्राम पंचायतों को स्थानीय कार्य करने के पूर्ण अधिकार दे दिये गये, जिससे वे ग्रामों का सर्वागीण विकास कर सके।

मध्यप्रदेश में पंचायतीराज

स्थानीय प्रशासन एवं विकास सम्बंधी कार्यो को करने में पंचायतीराज संस्थाओ की भागीदारी प्रभावपूर्ण रखें जाने के उद्देश्य से पंचायतीराज का जन्म हुआ जो कि भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन को पूर्ण करता है इसके द्वारा राज्य सरकार विभिन्न पंचायतों के गठन उनके कार्य संचालन की विधि एवं शक्तियों के उपयोग आय–व्यय, लेखे–जोखे, कराधान,निरीक्षण तथा सम्बंधित अन्य सभी तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, नवीन रूप से गठित पंचायत को संवैधानिक हैसियत 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुई हैं,इसमें पंचायत को परिभाषित भी किया गया है, जिसे अनुच्छेद 280 का संशोधन माना जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

शोध का उद्देश्य मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1996 के द्वारा पंचायतीराज संस्था को सौपे गये कर्तव्यों एवं दायित्वों के क्रियान्वयन की जानकारी लेना एवं उनकी प्रतिपुष्टि करना, जिसमें सम्बंधित प्रतिनिधि से बुनियादी आवश्यकताऍ जैसे बिजली प्राथमिक शिक्षा,चिकित्सा आदि का पता लगाना एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न विकास के कार्यक्रमों का आय–व्यय का अध्ययन करना शोध का मुख्य उद्देश्य हैं। शोध के उद्देश्य को निम्न प्रकार से रखा जा सकता हैं–

1. विभिन्न पंचायतों के संसाधनों के स्त्रोतों का अध्ययन करना।
2. विभिन्न पंचायतों के व्यय की मदों का अध्ययन करना।
3. विभिन्न गदों पर किये गये व्यय के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4. संसाधन एवं व्यय की वितरण समस्याओं का अध्ययन करना।
5. अग्रिम राजनैतिक आकांक्षा की जानकारी देना।
6. पंचायतीराज व्यवस्था को और अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना।
7. विगत् वर्षो में पंचायतीराज में आय–व्यय की स्थिति का आंकलन करना।
8. पंचायतीराज का ग्रामीण विकास में योगदान।

समितियां तथा जिला परिषदें और साथ ही सहकारी संगठन सरकार की विभिन्न ऐजेसियों के समर्थन व सहायता के आधार पर एक टीम के रूप में मिल कर कार्य करते है, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विगत् वर्षो में ग्रामीण विकास व जनकल्याण में वृद्धि हेतु अनेक योजनायें क्रियान्वित की हैं।

अध्ययन की आवश्यकता

आज प्रत्येक सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ग्रामीण विकास है। मध्यप्रदेश का सिवनी जिला भी एक ऐसा साधन सम्पन्न जिला है जहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है,जिसमें 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का है, जिले की अधिकांश योजनाओं में आबंटित राशि का 50 प्रतिशत से अधिकांश भाग ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिये आबंटित किया जाता है। जो पंचायतीराज संस्थाओ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास को सफलता पूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। परन्तु पंचायतीराज में क्रियान्वित योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहां तक सुदृढ़ हुई हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस शोध प्रबंध में दिया जायेगा। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में अभी तक इस प्रकार के मूल्यांकन संबधी अध्ययन नहीं हुये हैं। इसलिये प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता स्वमेव स्थापित हो जाती हैं।

विषय का महत्व

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वागींण विकास के लिये भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान करना, दूरस्थ इलाकों में शिक्षा पहुंचाना,ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करना पंचायतीराज द्वारा ही सम्भव है।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध में यह परिकल्पना की गई है, कि मध्यप्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था के कियान्वयन से सिवनी जिले में ग्रामीण विकास हुआ है, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा काफी सुदृढ़ हुई हैं।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध में अध्ययन की विश्वसनीयता,वैधता एवं पूर्णता के लिये अध्ययन क्षेत्र के संपूर्ण पक्षों का सूक्ष्म अध्ययन हेतु मेरे द्वारा स्वयं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर सभी वर्गो से दो सौ प्रश्नावली व निरीक्षण विधि द्वारा प्राप्त की हैं। जिसका मापदंड जनसंख्या के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत

किया गया है, चुँकि सिवनी जिले में निम्नतम जनसंख्या(200–1000)वाली ग्रामपंचायतों की सबसे अधिक 120 प्रश्नावली व 2000–3000 जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों से 60 प्रश्नावली तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों से 20 प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की हैं।

सिवनी जिला आदिवासी क्षेत्र होने के कारण एवं विषय में जातिगत् उपयोगिता को देखते हुए जातिगत मापदंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं से विषयगत् जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही ग्रामीण विकास के आर्थिक सर्वेक्षण हेतु उच्च,मध्यम,व निम्न वर्गीय आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई हैं।

विकास खंडवार सरकारी अनुदान व आय व्यय का आकंलन–:

जिलें में आठ विकासखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 1996–2000 की स्थिति में विभिन्न योजनाओं पर चयनित ग्राम पंचायतों में आय– व्यय की स्थिति का आकंलन निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है। पूर्व व्याख्यित विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों का संपूर्ण कार्य वित्तीय स्त्रोतों व अनुदान से जुडा है।

1. इंदिरा आवास योजना
2. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना
3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
5. राष्ट्रीय पेंशन योजना
6. जवाहर ग्राम समृद्वि योजना
7. राजीव गांधी जल संग्रहण योजना
8. पंचायतों के मूलभूत कार्यो के लिये अनुदान

इंदिरा आवास योजना

भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के कियान्यवयन में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है, योजना के तहत होने वाली राशि में से 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों को आवास मुहैया कराये जाने एवं 20 प्रतिशत राशि कच्चे आवासों को पक्के आवासों में तब्दील करने पर व्यय की जाती है, इंदिरा आवास योजनांतर्गत नवीन कुटीर निर्माण हेतु प्रति कुटीर 15000 तथा कच्चे मकानों का पक्का। आंशिक पक्का मकान हेतु 10000 प्रति हितग्राही के मान से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा आवास तभी पूर्ण माना जाता है, जबकि उसमें स्वच्छ शौचालय निर्माण पूर्ण हो चुका हो एवं उन्नत चूल्हा प्रदाय किया जा चुका हो।

पात्रता–: ग्रामीण क्षेत्रों के वे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो, जिनका स्वयं का कोई आवास आदि न हो। हितग्राहियों का चयन करते समय निम्न व्यक्तियों/परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाना है।

- मुक्त बंधुआ मजदूर।
- अनु. जाति/जनजाति परिवार, जो अत्याचार से पीडित हो।
- अनु जाति/जनजाति परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं एवं अविवाहित महिलाएं है।
- अनु जाति/जनजाति परिवार जो बाढ आगजनी भूकम्प चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में पीडित हो।
- अनु. जाति/जनजाति के अन्य परिवार।
- गैर अनु. जाति/जनजाति के अन्य परिवार
- शारीरिक रूप से विकलांग हो।
- युद्व में मारे गये सुरक्षा सेवाओं के कार्मिक/अद्वसैनिक बलों की विधवांए/परिवार।
- विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुये खानाबदोश तथा निर्दिष्ट आदिवासी विकलांग सदस्यों वाले परिवार, आंतरिक शरणार्थी और नक्सली प्रभावित/ समर्पित व्यक्ति बशर्ते की ये परिवार गरीबी रेखा के नीचे हो।
- सामान्य श्रेणी।

आवेदन की प्रकिया एवं स्वीकृति–:

आवेदन पत्र सम्बंधित ग्राम पंचायत में किया जाना चाहिये एवं इंदिरा आवास नवीन/कच्चे से पक्के आवासों की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा ही प्रदान की जाती है। कुटीर निर्माण पूर्ण हो जाने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने एवं संकलित कर जनपद पंचायतों को भेजने का पूर्ण उत्तरादायित्व संबंधित उपयंत्री/ सहायक विकास विस्तार अधिकारी एवं सरपंच का होगा। इसे संकलित कर जिला पंचायत को भेजने का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का होगा। विशेष रू‍प से योजनांतर्गत् भूखंड का आवंटन एवं कुटीरों के निर्माण की स्वीकृति परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पुरूष /महिला के नाम संयुक्त रू‍प से किया जाना चाहिये।

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता आवास की भी है। आवास व्यवस्था से आशय आवासहीनों के लिए सेसे आश्रय से है। जो अरामदायक हो एवं मनुष्य की आवश्कताओं के अनुरू‍प हो और जहॉ परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। स्पष्ट शब्दों में आवासहीनों की आवास व्यवस्था के अंर्तगत आवास में स्वच्छ शौचालय, उन्नत चूल्हा, (धुंआ रहित) हवा व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, तथा साथ ही परिवार के सदस्यों के अनुपात में पर्याप्त कमरे हो।

इंदिरा आवास योजना हेतु अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना की 80 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों को आवास मुहैया करने में एवं 20 प्रतिशत राशि कच्चे आवासों को पक्के आवासों में तब्दील करने पर व्यय की जाती है इस योजना से नवीन आवास हेतु प्रत्येक हितग्राही को 15000 रूपयें तथा कच्चे आवास का पक्का आवास बनाने हेतु 10000 रूपयें प्रति हितग्राही को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में प्राप्त अनुदान के आर्थिक

विश्लेषण विकासखंडवार संस्थागत प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है।

विश्लेषण–:

विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 1996–2000 तक में शासन द्वारा इस योजना हेतु 46806920 रूप्यें प्राप्त हुए है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान राशि में 80 प्रतिशत राशि नवीन आवासों के निर्माण हेतु व्यय की गई है। जबकि 20 प्रतिशत राशि आवासों के पुर्ननिर्माण में व्यय की गई है।सिवनी जिले में कुल ग्राम पंचायतों में से चयनित ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या व ऐसे परिवारों की कुल जनसंख्या जिन्होने इस योजना से लाभान्वित होने की पात्रता प्राप्त की है। अवलोकन से स्पष्ट है कि इंदिरा आवास योजना का लाभ सभी जाति के लोगों को प्राप्त हुआ है जैसा कि शासन की नीतियों के निर्धारण में प्रत्येक योजना का सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्राप्त होना चाहिए। कम लाभान्वित हितग्राहियों में से सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जनजाति को 38 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। जबकि अनुसूचित जाति को 31.60 प्रतिशत पिछडा वर्ग को 12.66 प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जन जाति को व सबसे कम लाभ सामान्य वर्ग को प्राप्त हुआ है।

जिले में आठों विकासखंडों में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में से 14.35 प्रतिशत हितग्राही कुरई विकास खंड में लाभान्वित हुए है। पंरतु सबसे कम 8.44 प्रतिशत हितग्राही लखनादौन विकासखण्ड डमें लाभान्वित हुए है। परंतु अनुसूचित जाति वर्ग में सर्वाधिक हितग्राही 42.8 प्रतिशत कुरई विकासखंड में लाभान्वित हुए है।

अतः स्पष्ट कहा जा सकता है। कि इस योजना से सर्वाधिक लाभ आरक्षित वर्ग को प्राप्त हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एस.राधाकृष्णन, महात्मा गांधी 100 वर्ष।
2. अग्रवाल श्री मन्ना नारायण भारत के आर्थिक निर्माण पर गांधीवादी योजना।
3. श्री निवास एस. मैनेजमेंट ऑफ रूलर हेल्थ केयर मैनजमेंट ऑफ रूलर हेल्थ केयर सोशल चेंज वा 17 नं. 1987
4. देसाई बसंत रूलर डेवलपमेंट वोल्यूम 5 रूलर डेवलपमेंट थू दा प्लान्स वी आई. आर. बंबई।
5. देसाई ए. आर. भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र।
6. दुबें एस. सी. भारतीय ग्रामों में परिवर्तन।
7. डॉ सचिंदानंद भारत में सामजिक विकास योजना।
8. इकबाल नारायण इमरजिन कांसेप्ट इन एम बी माथुर एंड पंचायती राज प्लानिग एंड डेंमोक्रेसी।
9. पवार मीनाक्षी पंचायतीराज और विकास पब्लिकेशन हाउस करमपुरा नई दिल्ली।